



कार्यालय कलेक्टर, भू-अभिलेख शाखा रायगढ़ (छ0ग0)

कमांक / 1311 / भू.अ.लि. / 2019
प्रति,

रायगढ़, दिनांक 01/10/2019

मुख्य वन संरक्षक,
बिलासपुर वृत्त
बिलासपुर(छ.ग.)

विषय:— Diversion of forest land for non forest purpose forest conservation Act
1980 for Diversion of 185.017 Ha. of forest land for chhal OC seam III-6
MTY project of SECL in Raigarh District of Chhattisgarh—Regarding.
पंजीयन कोड कमांक FP/CG/ MIN/16237/2015
संदर्भ:— आपका अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 69 बिलासपुर दिनांक 16.9.2019।

—00—

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छाल खुली खदान फ़ेस III 6 (mty) परियोजना हेतु कुल 55.850 हे. धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत ग्राम बांधापाली में भूमि स्थित है, जिसे महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र के द्वारा उनके पत्र कमांक 112 दिनांक 20/05/2019 में Deemed forest मानकर उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है, उक्त भूमि का राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त दल द्वारा स्थल सत्यापन एवं जांच कराया गया। संयुक्त दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि खसरा नंबर 410 रकबा 55.850 हे. राजस्व भूमि के अंतर्गत होने एवं अभिलेख में कृषि अयोग्य मद में दर्ज होने के कारण, राजस्व भूमि है। अतः राजस्व वन भूमि का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है।

सादर सूचनार्थ।

कलेक्टर
रायगढ़(छ.ग.)



कार्यालय कलेक्टर (मू - अभिलेख शाखा) जिला रायगढ़ (छ0ग0)

क्रमांक 1297/भू.अ.लि./2019
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 28/09/2019

**मुख्य वन संरक्षक
बिलासपुर वृत्त बिलासपुर (छ.ग.)**

विषय :- Diversion of forest land for non forest purpose under forest conservation Act 1980 proposed for chhal opencast seam III 6 mty supplementary proposal for Diversion of 55.850 ha. of Deemed forest land in ADDition to Earlire proposal for Diversion of 185.017 ha. forest land proposal no. pf/cg/min/16237/2015)-55.850 ha. regarding.

संदर्भ :- उप महाप्रबंधक (खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक एसईसीएल छाल उपक्षेत्र का पत्र क्रमांक एसईसीएल/आरजीएच/एसएएम/19 दिनांक 21.05.2019।

.....00.....

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करेंगे। प्राप्त पत्र में छाल खुली खदान फेस III 6 (mty) परियोजना हेतु कुल 55.850 हे. धरमजयगढ़ वन मण्डल अंतर्गत Deemed forest मानकर उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है, किन्तु राजस्व एवं वन विभाग के संयुक्त स्थल सत्यापन पश्चात् आवेदित भूमि खसरा नंबर 410 रकाब 55.850 हे. राजस्व अभिलेख में कृषि अयोग्य मद में दर्ज है। जिससे स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि है। जिसे कलेक्टर महोदय के द्वारा अनुमोदन किया गया है।

संलग्न:- अनुमोदन की छायाप्रति।

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ दिनांक 28/09/2019

पृ. क्रमांक 1297/भू.अ.लि./2019
प्रतिलिपि :-

उप महाप्रबंधक (खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक एसईसीएल छाल उपक्षेत्र जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।

डिप्टी कलेक्टर

वास्ते कलेक्टर रायगढ़ (छ.ग.)

NO L&R, CSA

G.M.(M)/Sub Area Manager
Chhal Sub Area, SECI
Raigarh Area

कार्यालय कलेक्टर(भू-अभिलेख शाखा), जिला रायगढ़ (छ.ग.)
कमांक / 1228 / भू.अ.लि. / 2019 रायगढ़ दिनांक 19/09/2019
प्रति,

उप महाप्रबंधक
खनन/उपक्षेत्रीय प्रबंधक
एसईसीएल छाल
जिला रायगढ़ (छ.ग.)

विषय:-

Diversion of forest land for purpose under forest conservation act 1980
propse for chhal opencast III 6 mTY (supplementary proposal for Diversion
to Earliar prorosal for Diversion of 55.850 ha. Forest land proposal NO.
pf/c.g./MIN/16237/2015)55.850 ha. Regarding.

संदर्भ :-

उप महाप्रबंधक (खनन)/उपक्षेत्रीय प्रबंधक एसईसीएल छाल उपक्षेत्र का पत्र कमांक
एसईसीएल/आरजीएच/सम/सीएसए/19 दिनांक 21/05/2019।

.....00.....

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्राप्त पत्र में छाल
खुली खदान फेस III (6 mTY) परियोजना हेतु कुल क्षेत्र 55.850 हे. धरमजयगढ़ वन मंडल
अंतर्गत DEEMEd forest land मानकर उक्त परियोजना हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहा गया है,
किन्तु राजस्व विभाग एवं वन विभाग के संयुक्त स्थल सत्यापन पश्चात आवेदित शासकीय भूमि
खसरा नंबर 410 रकबा 55.850 हे. राजस्व अभिलेख में कृषि अयोग्य मद में दर्ज है। जिससे
स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि राजस्व विभाग की भूमि है। जिसे कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदन
किया गया है।

अपर कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)
19/9/19